

[2022] 4 एस.सी.आर. 743

आरव जैन

बनाम्

बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य (सिविल अपील सं 4242/2022)

23 मई, 2022

[एस. अब्दुल नाजीर और विक्रम नाथ, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून-30 वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा-न्यायिक अधिकारियों की भर्ती-उम्मीदवारी की अस्वीकृति-साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना-बिहार लोक सेवा आयोग (बी. पी. एस. सी.) ने सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) के 349 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन-जारी किया, परीक्षा आयोजित करने के बाद आयोग ने योग्यता के क्रम में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया-मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण आयोग द्वारा आठ उम्मीदवारों (अपीलकर्ताओं) की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई-अपीलकर्ताओं ने अपनी-अपनी श्रेणियों में अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं-अपीलकर्ताओं ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें खारिज कर दिया गया-अपील पर कहा गया:यह स्पष्ट है कि आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपीलार्थियों द्वारा उनके साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की गई थीं और यहां तक कि मूल प्रतियां भी बाद में कुछ दिनों के भीतर प्रस्तुत की गईं-यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया गया था-साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का यह केवल तकनीकी आधार है कि इन अपीलार्थियों की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था-उम्मीदवारों की अस्वीकृति अनुचित, अन्यायपूर्ण और जरूरी नहीं थी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 4242/2022

रिट याचिका (सिविल) सी.डब्लु.जे.सी. संख्या 24282/2019 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.5.2021 से।

के साथ

सिविल अपील सं 4243/2022, 4244/2022, 4246/2002, 4245/2002 और 4247/2022

आर. बालासुब्रमण्यम, गोपाल शंकरनारायणन, श्रीमती अंजना प्रकाश, विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सचिन शर्मा, राहुल गौर, सत्यव्रत शर्मा, अनिल कुमार गुलाटी, सुश्री पूजा धर, सुश्री इशिता चौधरी, वरुण सिंह, नितिन सलूजा, अभिजीत कुमार पांडे, रमन के. सिंह, तुंगेश, साकेत सिंह, सुश्री संगीता सिंह, सुश्री सोम्याश्री, श्रीमती निरंजना सिंह, नवीन प्रकाश, समीर अली खान, मेसर्स. पारेख एंड कंपनी, गौरव अग्रवाल, सी. जॉर्ज थॉमस, अनुज प्रकाश, कुमार मिहिर, शांतनु सागर, शशांक शेखर, अनिल कुमार, गुंजेश रंजन, उपस्थित दलों के लिए अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति के द्वारा सुनाया गया ।

निर्णय

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गयी।
2. असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के 349 पदों की भर्ती के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 30 वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 23.08.2018 का विज्ञापन संख्या 6 जारी किया। 349 पदों का विवरण इस प्रकार है:

- i. सामान्य/अनारक्षित (01)-175 पद
- ii. अनुसूचित जाति (02)-56 पद
- iii. अनुसूचित जाति (03)-03 पद
- iv. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (04)-73 पद
- v. पिछड़ा वर्ग (05)-42 पद

3. स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, आयोग ने दिनांक 02.12.2019 के पत्र द्वारा योग्यता के क्रम में 349 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश

की। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुशंसित 349 उम्मीदवारों में से चार उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए नहीं आए। इसलिए जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक 345 उम्मीदवारों को विभिन्न तारीखों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। बाद में 345 उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदवार योगदान करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार राज्य सरकार ने विभिन्न तारीखों पर जारी आदेशों के माध्यम से सात उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने संबंधित वर्गों में अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन आयोग ने साक्षात्कार कॉल पत्र के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अभाव में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी।

4. आवश्यक शर्तों में से एक यह थी कि साक्षात्कार के समय विस्तृत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जमा की जाए, जिसमें शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण का कोई लाभ होने का दावा करने वाले जाति प्रमाण पत्र, पिछले नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंतिम बार उपस्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र और निवास के अन्य प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। कुछ उम्मीदवार आवश्यकतानुसार मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप आयोग ने दिनांक 27.11.2019 को उनकी बैठक के माध्यम से उनके नामांकन को रद्द कर दिया। आयोग की 27.11.2019 को आयोजित अपनी 102 वीं बैठक में, उम्मीदवारों की पात्रता उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई थी। 30 वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा (विज्ञापन संख्या 06/2018) के तहत 21.10.2019 से 27.10.2019 की तिथियों के बीच आयोजित साक्षात्कार के समय प्रस्तुत 4 प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दस्तावेज आदि, आयोग ने साक्षात्कार के समय और प्रत्येक उम्मीदवार से निपटने के बाद मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र की आवश्यकता की कमियों और गैर-पूर्ति की जांच की और विभिन्न कारणों से 58 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी।

5. इनमें से कुछ उम्मीदवारों ने अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से अकेले या संयुक्त रूप से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आक्षेपित फैसले में ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं गयी और उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं को आठ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह मुद्दा नहीं है कि इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का आधार केवल और केवल मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना था। आयोग ने

इन बातों को स्वीकार किया है कि हमारे सामने प्रस्तुत आठ अपीलकर्ताओं ने अपने संबंधित श्रेणियों में अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

6. इन आठ उम्मीदवारों में से पांच अर्थात् मयंक कुमार पांडे (एसएलपी (सी) संख्या 15819/21), आरव जैन (एसएलपी (सी) संख्या 10776/21), आशीष चंद्र (एसएलपी (सी) संख्या 16198/21), सिद्धार्थ शर्मा (एसएलपी (सी) संख्या 11089/21) और संजय कुमार मिश्रा (एसएलपी (सी) संख्या 11089/21) सामान्य/गैर-सेवा श्रेणी से संबंधित हैं। सुमित कुमार (एसएलपी (सी) संख्या 15809/21) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित हैं, अनिता कुमार (एसएलपी (सी) संख्या 809/22) अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और आनंद राज (एसएलपी (सी) संख्या 15819/21) पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित हैं।

7. उपरोक्त नामित इन 8 उम्मीदवारों के संबंध में, आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2019 की अपनी बैठक में निम्नलिखित कमियों/त्रुटियों का संज्ञान लिया गया:

- i. आरव जैन अंतिम बार भाग लेने वाले महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से मूल चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 की निर्णय सूची में क्रम संख्या 1 पर है)।
- ii. आनंद राज महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने में विफल रहे (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 के निर्णय की सूची में क्रम संख्या 10 में है)।
- iii. सुमित कुमार कानून की डिग्री की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहे (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 की निर्णय सूची में क्रम संख्या 19 में है)।
- iv. संजय कुमार मिश्रा अपने पिछले नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र का मूल प्रस्तुत करने में विफल रहे (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 के निर्णय की सूची में क्रम संख्या 26 में है)।
- v. अनिता कुमार ने हालांकि अनुसूचित जाति (महिला) की श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने वर्ष 2002 में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनके पति का नाम था, हालांकि, बाद में उन्होंने 13.11.2019 को अपने पिता

का नाम उल्लेख करते हुए जाति प्रमाण पत्र भेजा (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 की निर्णय सूची में क्रम संख्या 29 में है)।

vi. सिद्धार्थ शर्मा अपने पिछली बार भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थान की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ संबद्धता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, और दूसरा पिछली बार भाग लेने वाले महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से जारी चरित्र प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 की निर्णय सूची में क्रम संख्या 36 पर है)।

vii. आशीष चंद्रा ने मूल चरित्र प्रमाण पत्र और पिछली बार भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया (उनका नाम 27 नवंबर, 2019 को लिए गए निर्णय की सूची में क्रम संख्या 55 पर है)।

viii. मयंक कुमार पांडे ने अंतिम बार भाग लेने वाले महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का मूल चरित्र प्रमाण पत्र और संबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, उन्होंने अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था (उनका नाम दिनांक 27.11.2019 के निर्णय की सूची में क्रम संख्या 56 में है)।

8. दिनांक 27.11.2019 की बैठक के कार्यवृत्त और संबंधित याचिकाओं में निहित विशिष्ट प्रकथनों का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपीलकर्ताओं द्वारा उनके साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की गई थीं और यहां तक कि मूल प्रतियां भी बाद में कुछ दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई थीं और आयोग की बैठक 27.11.2019 को हुई थी। इन तथ्यों को प्रतिवादियों द्वारा विवादित या अस्वीकार नहीं किया जाता है।

9. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि किसी भी सरकारी रोजगार के लिए विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, हमेशा एक धारा है कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र/गवाही में बाद के चरण में, किसी भी जांच के दौरान, गलत पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि 27.11.2019 के निर्णय में उल्लिखित इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया गया है। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का केवल यही तकनीकी आधार है कि इन अपीलार्थियों की

उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी, भले ही उन्होंने संबंधित श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किया था।

10. हमने आयोग और राज्य से अपेक्षा की थी कि वह विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को अभिलेख पर रखे ताकि यह विचार किया जा सके कि यदि अपीलकर्ता सफल होते हैं तो क्या उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में रखा जा सकता है। बिहार राज्य द्वारा अभिलेख पर रखी गई जानकारी दर्शाती है कि सामान्य श्रेणी में 5 पद रिक्त हैं और 2018 की विज्ञापन संख्या 6 की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में कोई रिक्ति नहीं है।

11. जहां तक शेष दो रिक्तियों का संबंध है, उन्हें उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन दो उम्मीदवारों अर्थात् स्वाति चतुर्वेदी (प्रतीक्षा सूची से) और राकेश कुमार (जो अनुमत समय के भीतर शामिल नहीं हो सके) द्वारा भरा गया था। स्वाति चतुर्वेदी की 2020 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3952 की रिट याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 01.03.2021 के फैसले के माध्यम से स्वीकार कर लिया था और बिहार राज्य द्वारा दायर 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 11174 को इस न्यायालय ने 30.07.2021 को खारिज कर दिया था। जहां तक राकेश कुमार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उनकी दिनांक 26.10.2021 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3835 की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, इस न्यायालय ने दिनांक 18.02.2022 के फैसले के माध्यम से 2022 की सिविल अपील संख्या 1517 की अनुमति दी।

12. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतिकरण यह है कि सभी अपीलार्थियों ने आवश्यकता के अनुसार प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रदान की थीं। हालांकि, यह केवल उसी का मूल था जिसे समय पर प्रदान नहीं किया जा सका। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मूल पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया था और बाद में मूल पुस्तकों को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।

13. अपीलकर्ताओं की ओर से एक और प्रस्तुतिकरण दिया गया कि मूल दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता न तो योग्यता या पात्रता से संबंधित है और किसी भी मामले में नियुक्ति से

पहले या परीक्षा के दौरान राज्य द्वारा हमेशा सत्यापन और सतर्कता रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। इसलिए, साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना अनिवार्य नहीं माना जा सकता है या दूसरे शब्दों में इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। भले ही साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, फिर भी सरकार सतर्कता/सत्यापन जांच कराएगी।

14. ऐसी प्रस्तुतियों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि उनकी उम्मीदवारी को खारिज करने का आयोग का निर्णय स्वयं अवैध, अवांछित, अनुचित और बहुत कठोर था। सभी आठ अपीलकर्ता जो विधिवत रूप से योग्य और विधिवत चयनित थे, उन्हें न्यायिक अधिकारियों के रूप में उनकी नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। बेशक, सभी अपीलकर्ताओं ने अपनी संबंधित श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिकाओं को खारिज करने में गलती की।

15. दूसरी ओर, बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वे विज्ञापन या उनके ब्रोशर या साक्षात्कार कॉल लेटर में उल्लिखित किसी भी शर्त में विभिन्न स्तरों पर छूट नहीं दे सकते हैं। इस तरह की कोई भी छूट उनकी अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के बराबर होगी जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त के बारे में पूरी तरह से जानते हुए भी साक्षात्कार के समय ऐसा करने में विफल रहे, पर उनकी उम्मीदवारी को सही रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित तर्क में प्रवेश किए बिना हमारा यह विचार है कि उम्मीदवारों की अस्वीकृति अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनावश्यक थी। हमने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि रिक्तियां उपलब्ध हैं, जो यदि मेधावी उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं, तो यह संस्थान के लिए केवल एक संपत्ति होगी जो बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद करेगी।

17. अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह 2018 की विज्ञापन संख्या 6 की रिक्तियों के खिलाफ आठ अपीलकर्ताओं के समायोजन के संबंध में है। जहां तक अनारक्षित श्रेणियों के पांच उम्मीदवारों मयंक कुमार पांडेय, आरव जैन, आशीष चंद्र, सिद्धार्थ शर्मा और संजय कुमार मिश्रा (राज्य के अनुसार पांच रिक्तियां उपलब्ध हैं) का संबंध है, उन्हें इन

रिक्तियों के साथ समायोजित किया जा सकता है। यह मुद्दा अब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के तीन उम्मीदवारों के संबंध में है। इन तीनों उम्मीदवारों के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य या तो उन्हें भविष्य की रिक्तियों के साथ समायोजित कर सकता है, जो हमें बताया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध हैं या राज्य तीन पदों को भविष्य की रिक्तियों से उधार ले सकता है, 2018 की विज्ञापन संख्या 06 के लिए संबंधित श्रेणियों में एक-एक। यह उपर्युक्त विज्ञापन की रिक्तियों में अंतर करने के बराबर होगा, जो शक्ति हमेशा नियोक्ता में निहित होती है। हम उपरोक्त पहलू से ऊपर उल्लिखित तरीके से या किसी अन्य तरीके से निपटने के लिए राज्य के विवेक और मर्जी पर छोड़ देते हैं, जिसे वह आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों से संबंधित तीन अपीलकर्ताओं को समायोजित करने के लिए उचित समझे।

18. उपर्युक्त व्यवस्था में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह 2018 की विज्ञापन संख्या 6 के विरुद्ध नियुक्त पहले से सेवारत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति/चयन को प्रभावित नहीं करेगा।

19. आठ अपीलार्थी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी संबंधित वरिष्ठता के हकदार होंगे, हालांकि, वे बीच की अवधि के लिए वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे, लेकिन उनके योगदान की तारीख से उसके हकदार होंगे। उन्हें तुरंत शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मध्यवर्ती अवधि के सभी वृद्धिशील और अन्य लाभ उनके लिए सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध होंगे, लेकिन कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

20. तदनुसार, उपरोक्त अपीलों की अनुमति दी जाती है। आयोग के दिनांक 27.11.2019 के इन अपीलार्थियों से संबंधित आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाएंगे।

आईए संख्या 54711 और 54713/2022

22. आई. ए. संख्या 54711 की अनुमति है। हस्तक्षेपकर्ता ज्योति जोशी ने इस आशय के निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह न्यायालय 2020 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 7751 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2022 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में आवेदक की नियुक्ति को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यर्थियों से आवश्यक उचित निर्देश जारी कर

सकता है और आगे निर्देश जारी कर सकता है, यह स्पष्ट करने के लिए कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 10776 में दिनांक 23.07.2021 को पारित आदेश ने आवेदक की नियुक्ति की प्रक्रिया हस्तक्षेप नहीं किया है। इस आवेदन से निपटने के लिए, कुछ अतिरिक्त तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

23. 2018 की विज्ञापन संख्या 6 के तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाने और 7 रिक्तियां खाली होने के बाद राज्य सरकार ने इन 7 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, क्योंकि 4 उम्मीदवारों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था और 3 उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के अनुसार शामिल नहीं हुए थे। वास्तव में, 349 रिक्तियों में से केवल 342 को भरा गया था।

24. एक ओर, आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2019 के अपने संकल्प के माध्यम से जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, उनमें से कुछ उम्मीदवारों ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची से एक अन्य उम्मीदवार स्वाति चतुर्वेदी ने 2020 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3952 के रूप में पंजीकृत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें रिक्त हुई रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 01.03.2021 के अपने फैसले में स्वाति चतुर्वेदी की याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को एक पद की माँग पत्र बिहार लोक सेवा आयोग को सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर इनके नाम को नियुक्त के लिए अनुशंसित करते हुए भेजने का निर्देश दिया।

25. बिहार राज्य ने स्वाति चतुर्वेदी के मामले में 01.03.2021 के निर्णय और आदेश के खिलाफ 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 11174 दायर की, जिसे इस न्यायालय ने प्रारंभ में ही 30.07.2021 को अस्वीकार कर दिया था।

26. इस बीच, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 04.05.2021 को कुछ वर्तमान अपीलार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया और बाद में अन्य अपीलार्थियों की इसी तरह की अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया। वर्तमान अपीलों में, इस न्यायालय ने आरव जैन द्वारा 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 11089 से संबंधित 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 10776 के पहले मामले में नोटिस जारी करते हुए 23.07.2021 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि श्रेणी में सिविल न्यायाधीश (जूनियर

डिवीजन) के तीन पद तत्काल याचिका के निपटान तक रिक्त रहेंगे। इसके अलावा, इसी तरह के अंतरिम आदेश 08.10.2021 को 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 15809, 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 16198 और 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 15819 में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के 4 पदों को मामले के निष्पादन तक खाली रखने का प्रावधान किया गया है। और अंत में 07.02.2022 को अनीता कुमार द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 809 में इसी तरह के आदेश सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के एक पद को उस श्रेणी में वर्तमान याचिका के निपटारे तक रिक्त रखते हुए पारित किए गए, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल हैं।

27. हस्तक्षेपकर्ता ज्योति जोशी ने 2020 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7751 के रूप में पंजीकृत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका पर अंतिम निर्णय 09.02.2022 को खंडपीठ के फैसले के अनुसार उस समय लिया गया जब इस न्यायालय द्वारा 23.07.2021 से 07.02.2022 तक अंतरिम आदेश पहले ही पारित किए जा चुके थे। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 09.02.2022 के अपने फैसले में उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को उन सभी पदों के लिए मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया जो अनुशंसित उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण रिक्त रह गए थे और बिहार लोक सेवा आयोग को 2018 की विज्ञापन संख्या 6 के खिलाफ नियुक्ति के लिए मेधा के क्रम में संयुक्त मेधा सूची से उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया था। पैरा 62 में निहित उक्त निर्णय का प्रभावी भाग नीचे दिया गया है:

“62. परिणाम स्वरूप, मैं राज्य सरकार को उन सभी पदों के लिए मांग भेजने का निर्देश देता हूँ जो अनुशंसित उम्मीदवारों और बिहार लोक सेवा आयोग (तृतीय प्रतिवादी) के शामिल न होने के कारण रिक्त रह गए थे और इसके अधिकारियों को 2018 की विज्ञापन संख्या 06 के खिलाफ सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के क्रम में संयुक्त मेधा सूची/चयन सूची से उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया जाता है।”

28. यह निर्णय दिनांक 09.02.2022 और उसमें निहित निर्देश इस न्यायालय द्वारा 23.07.201, 08.10.2021 और 07.02.2022 को पारित अंतरिम आदेशों के सीधे

विरोधाभासी थे। स्पष्ट रूप से, ये आदेश खंडपीठ के समक्ष नहीं रखे गए थे, और उसी की अनभिज्ञता में निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार, बिहार लोक सेवा आयोग पहले ही इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भ में पारित अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए 09.02.2022 के फैसले और आदेश को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दे चुका है। उक्त संशोधन आवेदन अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

29. इस प्रकार, ज्योति जोशी द्वारा निर्देशों की मांग करते हुए दायर किया गया आवेदन न तो मंजूर किया जा सकता है और न ही वह स्वाति के निर्णय से समानता या किसी लाभ का दावा कर सकती है जो पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय या इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से बहुत पहले पारित किया गया था। तदनुसार, निर्देशों के लिए इंटरलॉक्यूटरी आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

[एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति]

[विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

23 मई, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।